26/7/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 एवं 7 से 10 आज भी अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई। उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थीगण एक तरफा सुनी गयी।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर चिन्तन मनन किया। प्रार्थीगण मौजा चन्देरिया प०ह० सेलाहेडा तहसील चित्तौडगढ की आराजी संख्या 2010/1 रकबा 0.50 2011 रकबा 0.85, 2015 रकबा 0.96, 2016 रकबा 0.18, 2021/1 रकबा 0.53 कीता 5 कुल रकबा 3.02 हे० के खातेदार हैं। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम चन्देरिया प०ह० सेलाहेडा तहसील चित्तौडगढ स्थित आराजी नम्बर 2010/1, 2011, 2015, 2016, 2021/1, कीता 5 कुल रकबा 3.02 हे० भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी शुल्क 1500/- एक हजार पांच सौ रुपए प्रार्थीगण वहन करेगें। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौडगढ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो।

2020/00220

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.08.03 17:27:42 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)